फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

रेखाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 225/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे ज़ारी हुए
29/07/2021	प्रार्थी की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान क़ाश्ताकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा निम्बा की ढाणी पटवार मण्डल सोहड़ा तहसील गिड़ा में आई हुई है। विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त व हक हिस्से की भूमि में जबरदस्ती दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप कारित करने, कब्जा करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 24/09/2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी निम्बा की ढाणी पटवार मण्डल सोहड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 232/179, 231/179 रकबा क्रमशः 50.00, 50.00 बीघा की भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही जबरदस्ती बेदखल करने का प्रयास करें। वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 24/09/2021 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/09/2021	प्रार्थी वकील [illegible] विप्रार्थीगण नोटिस तामील [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] से मिसल [illegible] आगामी दिनांक 11/10/21 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:38 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

11/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील मयान्त / जमाबन्दी नामान्तरण प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में ध्यान होने से मिसल इजलास होकर आगामी दिनांक 29/12/2021 को पेश हो।

29/12/21 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-2 से 5 के वकील उपस्थित / वादीगण का मूल वाद जरिये विड्रोवल खारिज हो चुका है। इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः उक्त स्थगन आवेदन को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:25:38 IST
Reason: SelfAttested